आवेदन पत्र पत्र संख्या 75 / 2022
ग्राम पंचायत बनावस बनाम कार्यकारी निदेशक
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी नगर आदि
निर्णय दिनांक :– 29/8/22

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 75 / 2022

1. ग्राम पंचायत बनवास जरिये सरपंच ललीता देवी पत्नी बहादुर सिंह जाति मेघवाल निवासी बनवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
2. सचिव ग्राम पंचायत बनवास पंचायत समिति सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

.......आवेदकगण

ब–ना–म

1. कार्यकारी निदेशक हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 प्रधान कार्यालय कलकत्ता (पं.बंगाल)
2. जनरल प्रबंधक हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड ताम्र भवन खेतड़ीनगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. भूमि धारक तहसीलदार तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

.......अनावेदकगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.) सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री रोहित पोषवाल – आवेदक की ओर से
2. श्री सत्येन्द्र मान – अनावेदक सं. 1 व 2 की ओर से

:: निर्णय :: दिनांक :– 29/8/22

यह आवेदन पत्र आवेदकगण की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम बनवास पंचायत समिति सिंघाना तहसील बुहाना की वर्तमान सरपंच है तथा आवेदक सं. 2 ग्राम बनवास पंचायत समिति सिंघाना का सचिव/ग्राम सेवक है। आवेदकगण ग्राम पंचायत बनवास के हितार्थ कार्य करते हैं। वाके ग्राम बनवास तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 468/203 रकबा 0.11 है. भूमि [illegible] सैनी पुत्र स्व. भगवानाराम जाति माली निवासी बनवास तहसील बुहाना की खातेदारी की भूमि थी। इसलिए उक्त खातेदार श्री रामनाथ ने उपरोक्त भूमि ग्राम पंचायत के हक में समर्पण करदी है जिसके नये खसरा नंबर 529/468 रकबा 0.11 है जिसके आवेदकगण एकोकी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। आवेदकगण की उपरोक्त भूमि खसरा नंबर 529/468 की पूर्वी ओर अनावेदकगण स्थित भूमि ख.नं. 179 रकबा 3.84 है. जो कि अनावेदकगण की काबिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chauhan
Date: 2022.11.23 16:22:44 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

काश्तकारी की भूमि है। वाद वर्णित भूमि ख.नं. 529/468 के पूर्वी ओर स्थित अनावेदकगण की भूमि ख.नं. 179 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे पूर्व से पश्चिम लगभग 18 फुट चौड़ा एक प्रचलित रास्ता स्थित है जिससे वादग्रस्त भूमि हाल ख.नं. 529/468 में पूर्व में उक्त रामनाथ सैनी सदैव से अपनी खातेदारी की उक्त भूमि में फसल काश्त करने के लिए ट्रेक्टर आदि को भी इसी रास्ते से लाता ले जाता रहा है तथा वह अपनी खातेदारी की उक्त भूमि की उपज को काटने लाटने के लिए भी इसी रास्ते का उपयोग–उपभोग करता रहा है। आवेदकगण के खेत ख.नं. 529/468 से पुख्ता सड़क तक आने–जाने के लिए यही एक मात्र रास्ता स्थित है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई प्रचलित रास्ता नहीं है। उक्तानुसार ख.नं. 179 की दक्षिणी स्थित मेड़ के सहारे से ही आवेदकगण अपनी उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नंबर 529/468 में जा सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता की व्यवस्था नहीं है। आवेदकगण की कृषि भूमि 529/468 है. के लिये भूमि ख.नं. 179 रकबा 3.84 है. की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे 600 मीटर लम्बाई एवं 6 मीटर चौड़ाई कुल 2400 मीटर नजरी नक्शे में दर्शित सुर्खियों के मध्य अर्थात् 0.24 है. भूमि क्षेत्रफल वाला रास्ता के लिए उक्त भूमि में से कम करके उसे गै.मु. रास्ता एवं राजकीय रास्ता दर्ज किये जाने योग्य है। उक्त कुल रकबा 0.24 है. की नियमानुसार डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि आवेदकगण भुगतान करने को तैयार एवं तत्पर हैं। अर्थात् धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की पालना करने को आवेदकगण तैयार व तत्पर हैं।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बनवास उप तहसील सिंघाना तहसील बुहाना स्थित कृषि भूमि ख.नं. 179 रकबा 3.84 है. की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे लगभग 600 मीटर एवं 6 मीटर चौड़ाई कुल 2400 मीटर नजरी नक्शे में दर्शित सुर्खियों के मध्य 0.24 है. अर्थात 2400 मीटर नजरी नक्शे में दर्शित सुर्खियों के मध्य अर्थात् 0.24 है. भूमि क्षेत्रफल रास्ता के लिए आवेदकगण उक्त भूमि 179 रकबा 3.84 है. में से कम करके उसे गै.मु. रास्ता एवं राजकीय रास्ता कायम कर उसे राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज कर सीमांकन एवं मापन कर मौके पर भी कायम किये जाने का आदेश दिये जाने की कृपा करें। आवेदकगण रास्ता के रूप में दर्ज होने वाले रास्ते के रकबा की नियमानुसार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि का भुगतान करने को तैयार व तत्पर है। राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराकर उक्त रास्ता को चालू करवाने की कृपा करें।

आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अनावेदकगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अनावेदक सं. 1 व 2 की ओर जवाब आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवेदकगण द्वारा आवेदन पत्र के जरिये चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार किया है तथा कथन किया है कि उल्लेखित खातेदार रामनाथ पुत्र भगवानाराम जाति माली निवासी बनवास अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 468/203 रकबा 0.11 है. अपने निकटतम रक्त सम्बंधियों के पक्ष में ही कानूनन हक समर्पण करवा सकता है अन्य दीगर व्यक्ति या संस्था के पक्ष में हक समर्पण नहीं कर सकता है। उक्त खातेदार ने अपनी कृषि भूमि का हक समर्पण ग्राम पंचायत के पक्ष में किया है तो [illegible] समर्पण विधि विरूद्ध किया गया संव्यवहार है जिसका कानूनन कोई विधिक [illegible] एवं ग्राम पंचायत बनवास उक्त भूमि की विधिवत् खातेदार नहीं है। वास्तविक एवं [illegible] तथ्य यह है कि भूमि खसरा नंबर 179 रकबा 3.84 है. अनावेदक हिन्दुस्तान कॉपर लि. के स्वामित्व/खातेदारी की माईनिंग लीज की भूमि है जिस पर माईनिंग सम्बंधित [illegible] किये जा सकते हैं उक्त भूमि का अन्य कार्य के लिए उपयोग किया जाना विधि विरूद्ध एवं अनाधिकृत कार्य है जिसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:44 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

कानूनन इजाजत नहीं है। आवेदन पत्र में उल्लेखित व अनुतोष पर आधारित श्रीमान तहसीलदार बुहाना के आवेदन पत्र पर एक प्रकरण श्रीमान जी के यहां विचाराधीन चल रहा है जिसमें अनावेदक पक्ष हिन्दुस्तान कॉपर लि0 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है कानूनन समान तथ्यों पर आधारित श्रीमान तहसीलदार बुहाना के आवेदन पत्र पर एक प्रकरण श्रीमान जी के यहां विचाराधीन चल रहा है जिसमें अनावेदक पक्ष हिन्दुस्तान कॉपर लि0 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है कानून सामन तथ्यों पर आधारित दो प्रक्रियायें समानान्तर नहीं चल सकती उक्त कारण से उक्त आवेदन पत्र आवेदकगण पोषणीय नहीं है एवं प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। माईन्स एण्ड मिनरल्स डेवलपमेन्ट एवं रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत माईनिंग लीज की भूमि पर माईनिंग ऑपरेशन एवं इससे सम्बंधित कार्य किये जा सकते हैं अन्य कार्य नहीं किये जा सकते उक्त कारण से आवेदकगण का आवेदन पत्र पोषणीय नहीं है। एम.एम.डी.आर. एक्ट 1957 स्पेशिफिक एक्ट होने के कारण राज0 काश्तकारी अधिनियम पर प्रिवेल करता है। पट्टा संख्या 08/93 की खसरा संख्या 179 की विवादित भूमि एच.सी.एल. को खनन कार्यो हेतु आवाप्त करवाई गई थी जिसका नियंत्रण इण्डियन ब्यूरों ऑफ माईन्स डायरेक्टर माईन्स जियोलॉली ऑफ उदयपु एवं खान विभाग राजस्थान सरकार के पास रहता है इसलिए भारत सरकार, खान मंत्रालय उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है जिसके अभाव में आवेदन पत्र पोषणीय नहीं है। उक्त भूमि पर एच.सी.एल. द्वारा भू-कर प्रतिवर्ष राजस्थान सरकार को अदा किया जाता है। अतः अनावेदक हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की ओर से जवाब आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन पत्र आवेदकगण विशेष व्यय सहित खारिज किया जावे।

तहसीलदार, बुहाना से विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, बुहाना ने जरिये पत्र क्रमांकः भू.अ./22/2013 दिनांक 02.08.2022 से पटवारी हल्का माकड़ो की मूल बिन्दुवार रिपोर्ट संलग्न कर भिजवाई है जो निम्नानुसार है कि :-

1. आवेदित रास्ते की आवश्यकता परम आवश्यक है तथा वह जो के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है।
2. खसरा नंबर 529/468 में पहुचने हेतु नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।
3. खसरा नंबर 179 में बिन्दु ए से बी तक की दूरी 380 मीटर है जिसका नजरी नक्शा सलंग्न है। बिन्दु संख्या ए से बी दूरी 380 मीटर आती है जो आवेदकगण द्वारा चाही गई है तथा बिन्दु डी,ई, सी, बी की दूरी 163 मीटर आती है जो खसरा नंबर 529/468 के पहुंचने का निकटतम मार्ग है।
4. बिन्दु संख्या ए से बी तक का क्षेत्रफल 380X6 = 2280 वर्गमीटर आता है जो आवेदकगण द्वारा चाहा गया है। इस प्रकार बिन्दु संख्या डी ई ख.नं. 189 में 8X6 =48 वर्गमीटर, ख.नं. 182 में 9X6 = 54 वर्गमीटर, ख.[illegible] = 444 वर्गमीटर, ख. नं. 179 में 72X6 =432 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल [illegible] वर्गमीटर निकटतम प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल होता है।
5. आवेदकगण द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ता तथा [illegible] प्रस्तावित रास्ते की मौका स्थिति निम्नानुसार है:- (5ए.) आवेदकगण द्वारा चा[illegible] प्रस्तावित रास्ते में कोई वृक्ष, फसल तथा निर्माण नहीं है मात्र झाड़,झखाड़ (जलाऊ ईंधन) पड़े हुए हैं। (5बी.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:44 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

निकटतम प्रस्तावित रास्ते में कोई वृक्ष, फसल तथा निर्माण नहीं है। निकटतम प्रस्तावित रास्ते में ख.नं. 195 रकबा 0.04 है. गै.मु. कुआ जो खाता संख्या 01 मे दर्ज है जिसमें प्रस्तावित रास्ते को नहीं दर्शाया गया है।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, बुहाना व पटवारी हल्का माकड़ो का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार, बुहाना ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 02.08.2022 के संलग्न पटवारी हल्का माकड़ो के नजरी नक्शा में स्पष्ट किया है कि आवेदकगण को प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। प्रस्तावित रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित) के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। आवेदकगण को खसरा नंबर 529/468 में पहुंचने हेतु नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकित मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 978 वर्गमीटर बनता है। आवेदकगण के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 529/468 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। इस प्रकार आवेदकगण का आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधानों की पूर्ति करता है। अतः आवेदकगण का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, बुहाना दिनांक 02–08–2022 के संलग्न पटवारी हल्का माकड़ो, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत सिंघाना के आवेदकगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बनवास तहसील बुंहाना स्थित भूमि खसरा नंबर 529/468 में जाने के लिए पटवारी हल्का माकड़ो, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत सिंघाना की रिपोर्ट के बिन्दु सं. 3 में अंकित नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) में लाल स्याही से अंकितानुसार कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि पक्षकारान प्रतिकार की रकम पर आपस में सहमत नहीं हुए है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC की दर से 978 वर्गमीटर भूमि की दुगुनी राशि आवेदकगण तहसीलदार, बुहाना के समक्ष जमा करवायेंगे। तहसीलदार, बुहाना खसरा नंबर 189, 182, 181, 179 के खातेदारों/अनावेदकगणों को प्रतिकार की राशि नियमानुसार अदा करेंगें। तद्नुसार भूमि खसरा नंबर 189, 182, 181, 179 के रकबे में से रास्ते की बाबत 978 वर्गमीटर भूमि निर्वापित कर राजस्व रिकार्ड में किस्म "गैर मुमकीन रास्ता" के रूप में राजकीय खाते में अभिलिखित करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 29/8/22. को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:44 IST
Reason: SelfAttested